

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु  
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प जासास

## -: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जासास व भू.अ.नि. जासास की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चूरु / नायब तहसीलदार चूरु की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम धीरासत-चारगान तहसील चूरु व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 40,135 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	धीरासत-चारगान	40	सन्तलाल पुत्र महादा हिस्सा 1/10 जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासत-चारगान खातेदार	सत्यनारायण पुत्र महादेवाराम हिस्सा 1/10 जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासत-चारगान खातेदार
2.	धीरासत-चारगान	135	सन्तलाल पुत्र महादा हिस्सा 1/15 जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासत-चारगान खातेदार	सत्यनारायण पुत्र महादेवाराम हिस्सा 1/15 जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासत-चारगान खातेदार



जासास  
पीठासीन अधिकारी  
भू-अभिलेख अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

क्रमांक :- 188/2021

दिनांक :- 15.11.2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, चूरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री सत्यनारायण पुत्र महादेवाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। निवासी धीरासत-चारगान

11050 934  
18/11/2021

जासास  
भू-अभिलेख अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु